

श्रेष्ठ,

श्री दशरथ मांजुती,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या भवन, 2 बुधवार रोड,
प्रतिष्ठान, बहू दिल्ली।

विषय 17] अनुभव

संख्या : दिनांक : 6 अक्टूबर, 1997

विषय :- दक्षिण एकाडेमी, मेरठ को सी०बी०ए०ई०, बहू दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
आवृत्त प्रस्ताव पर विवेक जांचे के संबंध में।

बसोबस,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कले का विवेक हुआ कि कि दक्षिण एकाडेमी, मेरठ
को सी०बी०ए०ई०, बहू दिल्ली से सम्बद्धता प्रस्ताव विवेक जांचे में इस राज्य सरकार को
विस्तृत विवरण प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आवृत्त नहीं है :-

- 11] विद्यालय की संयुक्त सचिव की समय समय पर सचीवकीकरण
कराया जायेगा।
- 12] विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा विभाग द्वारा आवृत्त एक
सदस्य होगा।
- 13] विद्यालय में कम से कम प्रतिवर्ष द्वाय अनुसंधित नाति/अनुसंधित
सदस्यों के लिए सुरक्षा स्टेज और उच्च उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित विद्यालयों में विभिन्न
कार्यों के लिए विचारित मुक्त से अधिक मुक्त नहीं किया जायेगा।
- 14] संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
किसी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/संवाचित कार वि इन्डियन स्कूल
सर्टिफिकेट उत्पानिषद, बहू दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा
परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति में परिषद से मान्यता
प्राप्त राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 15] संस्था के लिए पूर्व विद्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसंधय वेतनमात्रों तथा अन्य मातृओं
से कम वेतनमात्र तथा अन्य मातृ मातृ विवेक जांचे में।
- 16] कर्मचारियों की सेवा शर्तों काही जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त
राजकीय उत्पान माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसंधय
सेवा विवरण का मात्र उपलब्ध कराये जायेगी।

- 17] राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश विवृत किये जायेगे,
संस्था उनका पालन करेगी।
- 18] विद्यालय का रिपोर्ट विचारित प्रश्न/परिष्कारों में रखा जायेगा।
- 19] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन
संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

- 2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि
विद्यालय की प्रति जो वर्तमान में विरावे पर ती भयी है, उसे किसी ह्वायित्व में
प्राप्त कर विधि अभिलेख सहित सासन को उः मात में अवका कराया जायेगा।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अविचार्य होगा और
यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं
किया या रखा है अथवा पालन कले में किसी प्रकार की सूच या शिथिलता बपती या
रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आवृत्त प्रस्ताव पर वापस से किया जायेगा।

अधीन,

दशरथ मांजुती
संयुक्त सचिव।

संख्या 2619/15-7-97 तारीख/सं.

प्रतिष्ठान विस्तृत विवरणों को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- केन्द्रीय संयुक्त शिक्षा विभाग, मेरठ।
- 3- शिक्षा विद्यालय विरीण, मेरठ।
- 4- विरीण, मांजु राष्ट्रीय विद्यालय, उग्रो, लखनऊ।
- 5- प्रमुख, दक्षिण एकाडेमी, मेरठ।

आशा है,

दशरथ मांजुती
संयुक्त सचिव।

E